न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2021/498
मिसल नम्बर–49/2021

1.हरिशंकर आत्मज भैरूलाल जाति माली निवासी झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.कमलेश बाई पुत्री नन्दलाल
2.द्रोपदी बाई पुत्री धनराज
3.धन्नीबाई पत्नी स्व0 नन्दलाल
4.लीला बाई पत्नी स्व0 धनराज
5.सीमा बाई पुत्री नन्दलाल जाति मीणा निवासीगण बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6.तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
7.रामलीला पत्नी छोटूलाल जाति मीणा निवासी बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 13/5/26

उपस्थितिः–
1.श्री तेजसिंह धाभाई प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री हरेन्द्र कुमार अप्रार्थी नं0 7 अधिवक्ता।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 296 की 1.45 है0 व खसरा नम्बर 435/1 की रकबा 0.75 है0 आराजी वाके ग्राम बृजेशपुरा में स्थित है तथा वादी की कृषि आराजी के पास में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 19 की रकबा 4.44 है0 वाके बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित है। वादी प्रतिवादीगण की कृषि आराजी के रास्ते अपनी कृषि आराजी पर पहुंचता है तथा उक्त रास्ते का उपयोग वादी कई वर्षो से करता चला आ रहा है। वादी के पिता भैरूलाल द्वारा दिनांक 07.08.2008 को श्रीमती किशोरी बाई पत्नी गणपतलाल मीना से जरिए इकरारनामा 10 × 700 फीट जमीन 50,000/रूपये

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

में खरीदी गयी थी। उक्त इकरारनामें में यह भी आलेखित किया गया कि प्रतिवादी की कृषि आराजी में रास्ते हेतु उपयोग व उपभोग भैरूलाल व उनके वारिसान कोई भी कर सकते है तथा उक्त रास्ते को भैरूलाल जिसको चाहे उसको उपयोग उपभोग करने देवे तथा उक्त रास्ते को किशोरी बाई व उनके वारिसान कोई भी भविष्य में उपयोग नहीं करेंगें। उक्त रास्ता इकरारनामे अनुसार प्रतिवादी की कृषि आराजी में पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है जो वादी की कृषि आराजी के अडवां है जिस पर वादी के पिता व तत्पश्चात वादी कई वर्षों से उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ जाने से प्रतिवादीगण वादी को उक्त रास्ते का उपयोग करने में रूकावट पैदा करने लगे है तथा वादीगण को उसकी स्वयं की कृषि आराजी पर आने जाने से रोक देते है जिससे वादी को कृषि आराजी को काश्त करने में आने जाने में परेशानी हो रही है। वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादीगण की कृषि आराजी में से स्वयं की कृषि आराजी पर आने जाने व काश्त करने हेतु रास्ते का उपयोग व उपभोग करने का अधिकार प्राप्त कर सके जिसके लिए अन्य विकल्प नहीं होने से उक्त वाद/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 25.01.2021 को जब प्रतिवादीगण ने वादी को अपनी कृषि आराजी पर काश्त करने जाने से उक्त रास्ते का उपयोग करने से रोकने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र/वाद की मद नं0 1 में वर्णित प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नं0 19 की 4.44 है0 वाके बृजेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित में से वादी की कृषि आराजी खसरा नं0 296 की 1.45 है0 खसरा नं0 435/1 रकबा 0.75 है0 में आने जाने व काश्त करने का रास्ता दिलवाया जावे। उक्त रास्ते में वादी को आने जाने व काश्त करने से प्रतिवादीगण ना रोके तथा उक्त रास्ते का उपयोग का सुखाधिकार प्राप्त करने देवे। अन्य न्यायोचित सहायता जो हो वह भी प्रतिवादीगण से वादी को दिलायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 01 लगायत 05 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये अतः अप्रार्थीगण क्रम 01 लगायत 05 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

अप्रार्थी नं0 7 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिपक्षी रामलीला को प्रतिपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। किन्तु प्रतिपक्षी रामलीला के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई भी कथन प्रार्थी के द्वारा नहीं किये गये हैं और ना ही कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है ना ही प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष चाहा है। प्रतिपक्षी रामलीला को बेवजह प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है प्रतिपक्षी रामलीला के विरूद्ध प्राथना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी रामलीला पत्नी छोटूलाल को पक्षकार बनाने के पूर्व प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते पक्षकार बनाये जाने हेतु में प्रतिपक्षिया रामलीला द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके अनुसार भी मौका रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि वादी के खसरा नम्बरान पर पहुंचने हेतु ग्राम बृजेशपुरा के आबादी क्षेत्र से कच्चा रास्ता है जो रिकार्ड में दर्ज नहीं है, परन्तु मौके पर विद्यमान है। यह कच्चा रास्ता गांव से होते हुऐ खसरा नम्बर 209 तक जाता है जो वादी के खसरा नं0 296 के निचे स्थित है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी तथ्य अंकित है कि खसरा नं0 299 तक जाता है जो वादी के खसरा नं0 296 के नीचे स्थित है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी तथ्य अंकित है खसरा नं0 299 कब्जा तथा कृषि संबंधि कार्य वादी हरिशंकर द्वारा ही किया जा है। इस खसरा नं0 299 के पास स्थित कच्चे रास्ते का प्रयोग वादी तथा उसके आसपास स्थित खसरों के खातेदारों द्वारा कृषि कार्य करने हेतु किया जाता है यह एक परम्परागत मार्ग है। इस प्रकार उपरोक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वादी के पास पहले से ही अपनी आराजी पर आने जाने का मार्ग उपखण्ड है। प्रतिपक्षी रामलीला बाई का खसरा नं0 297 का रकबा काफी कम है। यदि उसमें से रास्ता दिया गया तो कृषि आराजी का रकबा ओर कम हो जायेगा। इसलिए रास्ता दिया जाना भी सम्भव नहीं है। जबकि वादी के पास अन्य रास्ते उपलब्ध है। इस प्रकार प्रतिपक्षी रामलीला के विरूद्ध स्वयं प्रार्थी/वादी ने कोई रास्ते की मांग भी नहीं की गई है और ना ही कोई अनुतोष चाहा है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षी रामलीला खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षी रामलीला सव्यय खारिज फरमाया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रतिपक्षी रामलीला के पक्ष में हो प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी हरिशंकर पुत्र भैरू द्वारा जिस खसरे से रास्ता प्राप्त करने हेतु वाद दायर किया गया है वह खातेदारी में दर्ज है। वहां पर कोई भी रिकोर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। वर्तमान में भी वादी के संबंधित खसरा नं0 296 पर काश्त कारी का कार्य किया जा रहा है। वादी द्वारा खसरा नं0 19 में से रास्ते की मांग की जा रही है परंतु उसके आगे स्थित खसरा नं0 20 तथा खसरा नं0 21 खाता संख्या 36 रकबा 0.50 है0 अजित पुत्र घनश्याम, आकाश पुत्र घनश्याम, इंद्रा पत्नि स्व0 घनश्याम, कृष्णा पुत्री घनश्याम, छीतरलाल पुत्र रामचंद्र के खातेदारी में दर्ज है। खसरा नं0 21/1 खाता सं0 185 रकबा 0.06 है0 नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है। इसके आगे ग्राम रामखेड़ली का कांकड़ स्थित है। वादी हरिशंकर पुत्र भैरू के ख0नं0 296 के समीप स्थित खसरा नं0 297 खाता सं0 129 रकबा 0.14 है0 रामलीला पत्नि छोटूलाल जाति मीणा के खातेदारी में वादी को ख0नं0 16 खाता सं0 191 रकबा 1.33 है0 गै0मु0 नहर से खसरा नं0 296 तक पहुंचने का समीपस्थ मार्ग उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा वादी के खसरा नं0 पर पहुचने हेतु ग्राम बृजेशपुरा के आबादी क्षेत्र से कच्चा रास्ता है जो रिकोर्ड में दर्ज नहीं है परंतु मौके पर विद्यमान है। यह कच्चा रास्ता गॉव से होते हुए खसरा नं0 299 तक जाता है जो वादी के ख0नं0 296 के नीचे स्थित है। खसरा नं0 299 खाता संख्या 6 रकबा 1.80 है0 अमरलाल पुत्र चतरा दीपूबाई पत्नि देवीलाल बद्रीलाल

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पुत्र बंशीलाल, लालचन्द पुत्र बंशीलाल के खाते दर्ज है। परंतु इस पर कब्जा तथा कृषि संबंधि कार्य वादी हरिशंकर पुत्र भैरू द्वारा ही किया जा रहा है। इस खसरा नं0 299 के पास स्थित कच्चे रास्ते का प्रयोग वादी तथा उसके आस पास स्थित खसरो के खातेदारों द्वारा कृषि कार्य करने हेतु किया जाता है। यह एक परम्परांगत मार्ग है। वादी हरिशंकर पुत्र भैरू के अन्य खसरा नम्बर 435/1 खाता संख्या 94 रकबा 0.75 है, किस्म बारानी द्वितीय प्रतिवादी खसरा नं0 19 के पास स्थित नहीं है। इसकी स्थिति ग्राम मण्डानिया के कांकड़ पर स्थित है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई कि प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहुॅच हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जावे। अप्रार्थी नं0 7 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संशोधित धारा 251–क से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई काश्तकार या काश्तकारों का समूह किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर अपने खाते या अपने खाते तक पहुॅचने के लिए नया रास्ता या मौजूदा रास्ते को बडा या चौडा करने का इरादा रखता है और मामला आपसी सहमति से तय नही होता है तो काश्तकार संबंधित उपखण्ड अधिकारी को ऐसी सुविधा के लिए आवेदन कर सकते है और उपखण्ड अधिकारी जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है कि आवश्यक परम आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक आनंद के लिए नही है एवं विशेष रूप से अन्य खातेदार की जोत के बीच से नया रास्ता बनाने की स्थिति में यह सिद्ध हो जाने पर कि पहुंच के वैकल्पिक साधनो का अभाव है, आदेश द्वारा आवेदक को नया रास्ता बनाने की अनुमति दी जा सकेगी। राजस्थान राजपत्र, सितम्बर 06, 2023 के अनुसार **1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन–मूल अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा (1) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज में, ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर," प्रतिस्थापित की जायेगी।**

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र तथा उभयपक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे कथन किया है कि वादी के खसरा नं0 पर पहुचने हेतु ग्राम बृजेशपुरा के आबादी क्षेत्र से कच्चा रास्ता है जो रिकोर्ड में दर्ज नहीं है परंतु मौके पर विद्यमान है। यह कच्चा रास्ता गॉव से होते हुए खसरा नं0 299 तक जाता है जो वादी के ख0नं0 296 के नीचे स्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है। तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 296 तक पहुॅच हेतु रिकॉर्डेड रास्ता नही है। चूंकि प्रार्थी की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत किया है जिसके अंतर्गत पहुॅच के वैकल्पिक साधनों का अभाव होने पर खातेदार की जोत तक नया रास्ता बनाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी की आराजी तक पहुॅच हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस कारण से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के धारा 251 (क) के तहत प्रार्थी को अपनी आराजी की पहुॅच तक रास्ता दिलाया जाना चाहिए। धारा 251 क के तहत सबसे छोटा एवं निकटतम रास्ता दिलाये जाने का प्रावधान है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसील रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुॅचने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 296 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु खसरा नम्बर 297 में से 4 मीटर चौडाई में प्रार्थी की आराजी की पहुॅच तक मार्ग उपलब्ध कराया जावें।

तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के क्षेत्रफल की गणना कर 1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन के अनुसार प्रार्थी की भूमि से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के समान कीमत की भूमि का अंतरण अप्रार्थी नं0 7 की भूमि से लगी हुई भूमि में किया जावे। तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एवं नक्शा लट्ठा में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/5/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी